दिनांक 29.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 42/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रतापगढ़/थाना महेशगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 28.01.2025 की रात्रि थाना महेशगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहोरिकपुर के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–गुलहसन उर्फ गुलशन घायल हो गया, जिसें अभियुक्त 2– सेबू उर्फ अब्दुल्ला सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गुलहसन उर्फ गुलशन जनपद प्रतापगढ़ से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त गुलहसन उर्फ गुलशन के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त सेबू उर्फ अब्दुल्ला के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुलहसन उर्फ गुलशन निवासी रामपुर बजहा मझिगवां थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

2– सेबू उर्फ अब्दुल्ला निवासी कटरा मेदिनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हाथरस/थाना हसायन

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 28/29.01.2025 की रात्रि थाना हसायन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभयपुरा मोड़ के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मुकीम उर्फ चूहा 2–रहमान घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मुकीम उर्फ चूहा के विरूद्ध जनपद हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 27 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हसायन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकीम उर्फ चूहा निवासी मेवाली थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।

2–रहमान निवासी मेवाली थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना भोगांव

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **11 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **01 लाइसेन्सी बन्दुक**
- **04 जीवित/02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 29.01.2025 को थाना भोगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नगला पति के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–योगेन्द्र उर्फ टिंकू 2–जवाहर लाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 11 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 01 लाइसेन्सी बन्दुक, 04 जीवित/02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना भोगांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेन्द्र उर्फ टिंकू निवासी ग्राम नगला पति थाना भोगांव जनपद मैनपुरी।

2–जवाहर लाल निवासी मदारपुर थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद।

बरामदगी

1–11 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–01 लाइसेन्सी बन्दुक।

3–04 जीवित/02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

4–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.01.2025 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर असुआं मोड़ के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अभिषेक 2–आकाश घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक निवासी नगला वैध थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद।

2–आकाश निवासी सारंगपुर थाना फतेहाबाद, आगरा।

बरामदगी

1–01 मोबाइल फोन।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद चन्दौली/थाना बबुरी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 16 लाख रूपये कीमत के 302 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 29.01.2025 को थाना बबुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बबुरी चकिया चन्द्रप्रभा नदी पुलिया पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–दिलीप 2–गुलजार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 16 लाख रूपये कीमत के 302 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बबुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिलीप निवासी खेडा पत्ती थाना सिटी कोतवाली जनपद खण्डवा मध्यप्रदेश।

2–गुलजार निवासी कटेहरा दरियाबाद थाना अतरसुईया कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1–लगभग 16 लाख रूपये कीमत के 302 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 ट्रक आदि।

जनपद चन्दौली/थाना कन्दवा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 18 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 195 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 29.01.2025 को थाना कन्दवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरहनी के पास से अभियुक्त संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 18 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 195 ग्राम अवैध हेरोइन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कन्दवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संतोष कुमार निवासी सुभाष नगर थाना सैय्यदराजा जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–लगभग 18 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 195 ग्राम अवैध हेरोइन।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 135 पेटी विदेशी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद**

दिनॉकः 29.01.2025 को थाना दादरी व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से लुहारली कट के पास से अभियुक्त नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 135 पेटी विदेशी शराब, घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– नीरज निवासी ग्राम निगाह थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 135 पेटी विदेशी शराब।

2–घटना में प्रयुक्त ट्रक।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना गजरौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 75–75 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना गजरौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–पिन्टू 2–जयपाल 3–थानसिंह को आजीवन कारावास व 75–75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना विशेश्वरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 20/01–01 कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना विशेश्वरगंज पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त राजू को धारा 504/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–तुलसीराम 3–हनुमान को धारा 504/506 भादवि के अन्तर्गत 01–01 वर्ष के कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना तिवारीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सूरज को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टीएफ0–बेगूसराय, बिहार के कुख्यात टाईगर गैंग का सक्रिय सदस्य और विगत ढाई वर्ष से हत्या/डकैती के अभियोग में फरार चल रहा थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय, बिहार के मु0अ0स0 253/22 धारा 396 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0स0 256/23 धारा 307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार।

दिनांकः 29–01–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को बेगूसराय, बिहार का कुख्यात टाईगर गैंग का सक्रिय सदस्य और विगत ढाई वर्ष से हत्या/डकैती के अभियोग में फरार चल रहा थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय, बिहार के मु0अ0स0 253/22 धारा 396 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0स0 256/23 धारा 307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

शिवदत्त राय पुत्र राजकिशोर राय निवासी बनहारा, थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय, बिहार ।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 29–01–2025 समय लगभग 13.25 बजे, परीचौक से नोएडा जाने वाले मार्ग पर थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर क्षेत्र

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा एंव श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ नोएडा के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 29–01–2025 को एस0टी0एफ0 यूनिट नोएडा की टीम को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त दोनो अभियोगों में वांछित ईनामी अपराधी शिवदत्त राय, (जिसकी सूचना डी0आई0यू0 बेगूसराय बिहार से साझा की जा रही थी) परी चौक से नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते पर कहीं जाने की फिराक में खडा है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर की निशादेही पर घेराबंदी करके अभियुक्त शिवदत्त राय को समय करीब 13.25 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवदत्त राय ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 26 साल है और वह बी0ए0 पास है। बताया कि दिनांक 02–09–2022 को उसने अपने चचेरे भाई सुशील राय एवं शिवलोचन राय आदि के साथ मिलकर सुबोध राय के पुत्र अवनीश व रजनीश से ट्रैक्टर छीना और उनके ऊपर गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसमें अवनीश की मृत्यु हो गयी थी तथा रजनीश गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय पर मु0अ0सं0 253/2022 धारा 396 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग उसके एवं सुशील राय आदि के विरूद्व पंजीकृत हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस अभियोग में सुबोध राय एंव उसके परिजनों पर अभियुक्त शिवदत्त राय आदि द्वारा दिनांक 18–08–2023 को समझौता करने का दबाव बनाने के लिए घर पर चढकर कई गोलियॉ चलाई गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तेघडा पर मु0अ0स0 256/2023 धारा 307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग बनाम शिवदत्त राय आदि के विरूद्व पंजीकृत हुआ है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोनो अभियोगों में अभियुक्त शिवदत्त राय फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय बिहार के स्तर से रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित हो रखा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवदत्त राय , उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	253/22	396 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	तेघडा	बेगूसराय बिहार
2	256/23	307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	तेघडा	बेगूसराय बिहार

डी0आई0यू0 बेगूसराय बिहार पुलिस एवं एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29–01–2025 को अभियुक्त शिवदत्त राय को गिरफ्तार किया गया। तदोपरान्त विधिक प्रक्रिया से अभियुक्त शिवदत्त राय को डी0आई0यू0 बेगूसराय बिहार पुलिस के सुपुर्द किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही डी0आई0यू0 बेगूसराय बिहार पुलिस द्वारा की जा रही है।

——————